

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261439
SG-DL-E-03032025-261439असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 426
No. 74]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 426

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह पुलिस-I/स्थापना विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा. सं. 1/6/2024/गृ0पु0-I/स्था0/427 से 435.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 176 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि दिनांक 28/02/2025 से, किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, किसी ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना के प्राप्त होने पर, जिसमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है, अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल का दौरा कराएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से ओर उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह-I)

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th February, 2025

F. No. 1/6/2024/HP-I/Estt./427 to 435.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 176 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) read with Government of India Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 2506(E) dated 28.06.2024, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi hereby declares that with effect from 28/02/2025, the officer in-charge of a police station shall, on receipt of every information relating to the commission of an offence which is made punishable for seven years or more, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offence and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device.

In the Name and by Order of

Lieutenant Governor of NCT of Delhi,

RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (HOME-I)